

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एन-17/18/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
सीकर ।

विषय :- श्री नेमीचन्द, उ नर्स-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरासर को दिनांक  
21.11.18 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 736 दिनांक 24.08.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा श्री नेमीचन्द, नर्स-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसरासर को दिनांक 21.11.18 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये हैं, के क्रम में लेख है कि प्रशासनिक कारणों से कार्मिक को दिनांक 21.11.18 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। कार्मिक को अपने स्तर से पाबंद करें।

—sd—


संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एन-17/18/1392

दिनांक:- 18-10-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
2. संबंधित कार्मिक श्री नेमीचन्द, नर्स-2 को भेजकर लेख है कि आप द्वारा आवेदित दिनांक 21.11.18 से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रशासनिक कारणों से अस्वीकार की जाती है।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर